



## राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र०

किसान मण्डी भवन" विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ


पत्रांक:विप०-2/(58-3-टी०सी०)/2011- 1675

दिनांक: 10/3/2011

समस्त सचिव  
कृषि उत्पादन मण्डी समिति,  
उत्तर प्रदेश।


खाण्डसारी उद्योग एसोसिएशन, लखीमपुर खीरी एवं यू०पी० गुड़ एवं खाण्डसारी मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (रजि०), बिजनौर के दिनांक रहित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि इस वर्ष खाण्डसारी समाधान योजना प्रभावी होने में विलम्ब के कारण विभिन्न मण्डी सचिव खाण्डसारी मूल्य पर 2.5 प्रतिशत की दर से अग्रिम मण्डी शुल्क जमा करने के लिए दबाव बना रहे हैं तथा उक्त राशि जमा न करने के कारण इकाईयों के गेटपास जारी करने भी बन्द कर दिये हैं।

उपर्युक्त एसोसिएशन के पत्र पर विचारोपरान्त आपको निर्देशित किया जाता है कि जिन खाण्डसारी इकाईयों ने पिछले वर्ष की समाधान राशि के बराबर धनराशि अग्रिम रूप से जमा कर दी है उनके गेटपास न रोके जायें।

  
(राजेश कुमार सिंह) 09.03.11  
मण्डी निदेशक

पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-समस्त उपनिदेशक(प्रशासन/विपणन),राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,उ०प्र० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
मण्डी निदेशक 09.03.11